(वाद सं0–467/4/24/2019)

20.10.2021

परिवादी, रविन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत शिक्षक, उच्च विद्यालय, घोसरावाँ, नालन्दा उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के सेवाकाल के बकाया वेतनादि तथा षष्टम् एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान व प्रवर कोटि वेतनमान का भुगतान न किये जाने के साथ ही साथ सेवांत लाभ का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिवेदनानुसार (1) परिवादी को सेवांत लाभ (समूह ग्रुप बीमा, अनुमान्य अर्जित अवकाश व भविष्य निधि में जमा राशि) का भुगतान किया जा चुका है जिस पर आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी भी सहमति व्यक्त करते है। (2) परिवादी के सेवा काल के 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में परिवादी की मूल सेवा पुस्तिका सत्यापन हेतु जिला लेखा पदाधिकारी, नालंदा को भेजी गयी है। जिला लेखा पदाधिकारी, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा सत्यापनोपरांत प्रवरण वेतनमान् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को प्रतिहस्ताक्षरित कर भेजा जा चुका है। प्रवरण वेतनमान् की स्वीकृति प्राप्त होते ही परिवादी के पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज दिया जायेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी दिनांक– 30.11.2016 को सेवानिवृत हुए है।

प्रतिवेदनानुसार सेवाकाल में परिवादी बिना किसी सूचना के दिनांक– 09.03.1992 से दिनांक–24.09.1994 तक, दिनांक–15.07.2005 से दिनांक– 24.08.2005 तथा दिनांक– 28.11.2005 से दिनांक– 08.09.2006 तक अनुपस्थित रहे है। उपरोक्त अनुपस्थिति

अवधि के वेतनादि के भुगतान के संबंध में सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुनवाई कर परिवादी के दावे को अमान्य कर दिया गया है।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी का कथन है कि सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिना किसी युक्तिसंगत आधार के उसके अनुपस्थिति अवधि के वेतनादि के भुगतान से संबंधित दावे को अमान्य कर दिया गया है। वैसे परिवादी इस बात को स्वीकार करते है कि उपरोक्त अनुपस्थिति अवधि के वेतनादि व उससे सम्बद्ध अन्य लाभों को छोड़कर उसे अनुमान्य सेवाकाल व सेवांत लाभों का भुगतान किया जा चुका है।

अब, जबकि परिवादी के अनुपस्थिति अवधि के वेतनादि के भुगतान के संबंध में एक सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनवाई के उपरांत निर्णय लिया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर आवश्यक समझें तो उक्त के संबंध में सक्षम न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>